1 आपराधिक प्रकरण कमांक 1252/2015

न्यायालय- प्रतिष्ठा अवस्थी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,गोहद जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

<u>प्रकरण क्रमांक 1252 / 2015</u> संस्थापित दिनांक 15 / 12 / 2015

> मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र— गोहद, जिला भिण्ड म०प्र०

.... अभियोजन

बनाम

- अभिषेक उर्फ अन्सीक खां पुत्र बशारत खां उम्र 28 वर्ष
- 2. साबिर खां उर्फ गुरू पुत्र वहीद खां उम्र 22 वर्ष निवासीगण— वार्ड नं05 संतोष नगर गोहद जिला भिण्ड, म0प्र0

...... अभियुक्तगण

(अपराध अंतर्गत धारा— 504, 323 एवं 324 भा०द०सं०) (राज्य द्वारा एडीपीओ—श्री हेमलता आर्य।) (आरोपीगण द्वारा अधिवक्ता—श्री राजीव शुक्ला।)

<u>ः– नि र्ण य –ः</u> (<u>आज दिनांक 11.01.2018 को घोषित</u>)

आरोपीगण पर दिनांक 15.11.15 को दिन के लगभग 3:00 बजे फरियादी इफराज खां के घर के पास गोहद में फरियादी इफराज खां को अपमानित करने के आशय से गाली गलौंच कर प्रकोपित करने एवं उसी समय फरियादी इफराज खां की थाप घूसों से मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहित कारित करने तथा आहत शबनम की नुकीले आयुध से मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहित कारित करने हेतु भा0द0सं0 की धारा 504, 323 एवं 324 के अंतर्गत आरोप है।

2. संक्षेप में अभियोजन घटना इस प्रकार है कि दिनांक 15.11.15 को दिन के लगभग तीन बजे फरियादी इफराज खां के मोहल्ले के ही अन्सीक खां एवं गुरू खां पुराने झगड़े की बात को लेकर उसके घर के बाहर आकर उसे गाली देने लगे थे। जब फरियादी इफराज खां ने आरोपीगण को गाली देने से मना किया था तो आरोपीगण ने उसकी हाथ घूसों से मारपीट की थी जब उसकी लड़की शबनम बीच बचाव करने आई थी तो उसे भी धक्का देकर जमीन पर पटक दिया था जिससे शबनम के भी चोटें आई

- 3. उक्त अनुसार आरोपीगण के विरुद्ध आरोप विरचित किए गए। आरोपीगण को आरोपित अपराध पढकर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपीगण ने आरोपित अपराध से इंकार किया है व प्रकरण में विचारण चाहा है। आरोपीगण का अभिवाक अंकित किया गया।
- 4. द0प्र0सं0की धारा 313 के अंतर्गत अपने अभियुक्त परीक्षण के दौरान आरोपीगण ने कथन किया है कि वे निर्दोष हैं उन्हे प्रकरण में झूंटा फंसाया गया है।
- 5. 💎 🥢 <u>इस न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न उत्पन्न हुये हैं :—</u>
 - 1. क्या आरोपीगण ने दिनांक 15.11.15 को दिन के लगभग 3:00 बजे फरियादी इफराज खां के घर के पास गोहद में फरियादी इफराज खां को अपमानित करने के आशय से गाली गलौंच कर प्रकोपित किया?
 - 2. क्या आरोपीगण ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी इफराज खां की थापघूसों से मारपीट कर एवं आहत शबनम की नुकीले आयुध से मारपीट कर उन्हें स्वेच्छया उपहति कारित की ?
- 6. उक्त विचारणीय प्रश्नों के संबंध में अभियोजन की ओर से फरियादी इफराज खां आ0सा01, कु0 शबनम आ0सा02, इसरहीज खां आ0सा03, डॉ0 धीरज गुप्ता आ0सा04 एवं ए0एस0आई0 कमलेश कुमार आ0सा05 को परीक्षित कराया गया है जबिक आरोपीगण की ओर से बचाव में किसी भी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया हैं।

निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के कारण विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1

7. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में फरियादी इफराज खां अ0सा01 एवं आहत शबनम अ0सा02 तथा इसरहीज खां अ0सा03 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में कोई कथन नहीं किया है। यद्यपि प्र0पी01 की अदम चैक एवं प्र0पी04 की प्रथम सूचना रिपोर्ट में आरोपीगण द्वारा गालियां दिए जाने का उल्लेख है परंतु यह बात फरियादी इफराज खां आ0सा01 आहत शबनम अ0सा02 एवं इसरहीज खां अ0सा03 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में नहीं बताई है उक्त साक्षीगण न्यायालय के समक्ष अपने कथन में जबिक फरियादी एवं साक्षीगण द्वारा उक्त बिंदु पर कोई कथन नहीं किया गया है आरोपीगण को उक्त अपराध में दोषारोपित नहीं किया जा सकता है। फलतः यह न्यायालय आरोपीगण को भादसं की धारा 504 के आरोप से दोषमुक्त करती है।

विचारणीय प्रश्न कमांक— 2

- 8 उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में फरियादी इफराज खां आ०सा०1 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि घटना उसके न्यायालयीन कथन से लगभग 8 माह पूर्व की दिन के तीन सवा तीन बजे की है आरोपी गुरू और अन्सीक उसके घर में घुस गए थे एवं उसकी लात घूसों से मारपीट की थी उसकी बच्ची शबनम ने बीच बचाव करना चाहा था तो उसे भी धक्का दे दिया था इसके बाद वह लोग रिपोर्ट करने गए थे रिपोर्ट प्र०पी०1 है। शबनम के दांहिने हाथ में चोट आई थी एवं उसके घुटने में चोट आई थी। प्रतिपरीक्षण के पद क0 2 में उक्त साक्षी का कहना है कि उसने अपनी रिपोर्ट में घर में घुसकर मारपीट करने वाली बात लिखाई थी। उसकी रिपोर्ट रामकरन ने लिखी थी रिपोर्ट लिखने के बाद उसने पढ़कर सुनाई थी उसने कहा था कि तुमने घर में घुसकर मारपीट करने वाली बात क्यों नहीं लिखी थी तो उन्होंने कहा था कि मैंने लिखी है। उसने पुलिस को बताया था कि उसके घुटने में चोट आई है।
- 9. आहत शबनम अ0सा02 एवं साक्षी इसरहीज खां अ0सा03 ने भी फरियादी इफराज खां आ0सा01 के कथन का समर्थन किया है एवं आरोपीगण द्वारा इफराज एवं शबनम की मारपीट किए जाने बावत प्रकटीकरण किया है।
- 10. डॉ० धीरज गुप्ता अ०सा०४ ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में चिकित्सकीय रिपोर्ट प्र०पी०२ एवं प्र०पी०३ को प्रमाणित करते हुए व्यक्त किया है कि उसने दिनांक 15.11.15 को सामुदायिक स्वास्थय केन्द्र गोहद में थाना गोहद के आरक्षक मेघ सिंह द्वारा लाए जाने पर आहत इफराज खां का चिकित्सकीय परीक्षण किया था एवं परीक्षण के दौरान उसने इफराज खां के बायं कान में पीछे की ओर कन्ट्यूजन पाया था। आहत दांहिने घुटने में दर्द बता रहा था लेकिन कोई दर्शनीय चोट नहीं थी। उसके मतानुसार चोट क01 कठोर एवं मोथरी वस्तु से आना संभावित थी जो उसकी परीक्षण अवधि के पूर्व छः घण्टे के अंदर की थी आहत इफराज की चिकित्सकीय रिपोर्ट प्र०पी०२ है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उक्त साक्षी ने यह भी व्यक्त किया है कि उसने उक्त दिनांक को ही आहत शबनम का चिकित्सकीय परीक्षण किया था एवं परीक्षण के दौरान उसने शबनम के चेहरे पर दांहिनी तरफ बहुत सारी खरोंचे पाई थी जो कि स्वयं के द्वारा बनाई हुई लग रही थी। उसके मातानुसार उक्त चोट नुकीली वस्तु से आना संभावित थी जो उसकी परीक्षण अवधि के पूर्व छः घण्टे के अंदर की थी आहत शबनम की चिकित्सकीय रिपोर्ट प्र०पी०३ है जिसके ए से ए भाग पर उसके हसतक्षर है। प्रतिपरीक्षण के पद क० २ में उक्त साक्षी ने व्यक्त किया है कि इफराज को आई चोट मोटरसाइकिल से गिरने से आना संभव है एवं यह भी स्वीकार किया है कि कोई भी चोट धारदार हथियार से नहीं आई थी।
- 11. ए०एस०आई० कमलेश कुमार अ०सा०५ ने प्र०पी०१ की अदम चैक एवं प्र०पी०४ की प्रथम सूचना रिपोर्ट को प्रमाणित किया है।

स्वतंत्र साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है। अतः अभियोजन घटना संदेह से परे प्रमाणित होना नहीं माना सकता है।

- 13. बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा सर्वप्रथम यह तर्क किया गया है कि प्रकरण में फरियादी इफराज, आहत शबनम एवं साक्षी इसरहीज खां एक ही परिवार के सदस्य हैं अभियोजन द्वारा किसी स्वतंत्र साक्षी को प्रकरण में परीक्षित नहीं कराया गया है अतः अभियोजन घटना संदेह से परे प्रमाणित होना नहीं माना जा सकता है। परंतु बचाव पक्ष अधिवक्ता का यह तर्क स्वीकार योग्य नहीं है। फरियादी एवं आहत के कथनों की स्वतंत्र साक्षियों से संपुष्टि का जो नियम है वह विधि का न होकर प्रज्ञा का है। यदि फरियादी एवं आहत के कथनों को अविश्वसनीय नहीं माना जा सकता है कि उसके कथनों की पुष्टि स्वतंत्र साक्षी द्वारा नहीं की गई है। जहां तक हितबद्ध साक्षियों के कथनों का प्रश्न है तो मात्र हितबद्ध होने के कारण किसी भी साक्षी के कथन को अविश्वसनीय नहीं माना जा सकता है। हितबद्ध साक्षियों के संबंध में विधि केवल यही अपेक्षा करती है कि हितबद्ध साक्षियों के कथनों का मूल्यांकन सावधानी से कहना चाहिए। अब देखना यह है कि क्या प्रकरण में फरियादी एवं साक्षीगण के कथन इतने विश्वसनीय हैं जिसके आधार पर आरोपीगण को दोषारोपित किया जा सकता है।
- प्रस्तृत प्रकरण में फरियादी इफराज अ०सा०1 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि घटना वाले दिन आरोपी गुरू एवं अन्सीक ने घर में घुसकर लात घूसों से उसकी मारपीट की थी तथा जब उसकी बच्ची शबनम उसे बचाने आई थी तो आरोपीगण ने उसे भी धक्का दे दिया था। इस प्रकार फरियादी इफराज अ०सा०१ ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में आरोपीगण द्वारा उसके घर में घुसकर मारपीट करना बताया है परंतु इस तथ्य का उल्लेख कि आरोपीगण ने घर मेंघुसकर इफराज और शबनम की मारपीट की थी, प्र0पी01 की अदम चैक एवं प्र0पी04 के पुलिस कथन में नहीं है। फरियादी इफराज खां ने यद्यपि अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह बताया है कि उसकी रिपोर्ट रामकरन ने लिखी थी तथा उसने रामकरन से कहा था कि तुमने घर में घुसकर मारपीट करने वाली बात क्यों नहीं लिखी है तो रामकरन ने कहा थाकि मैंने लिखी है परंतु प्र0पी01 की अदम चैक एवं प्र0पी04 की प्रथम सूचना रिपोर्ट रामकरन द्वारा नहीं लिखी गई है। अभिलेख के अनुसार प्रपी01 की अदम चैक एवं प्र0पी04 की प्रथम सचना रिपोर्ट ए एस आई कमलेश कुमार अ०सा०५ द्वारा लिखी गई है। कमलेश कुमार अ०सा०५ ने भी अपने कथन में फरियादी इफराज खां की सूचना पर प्र0पी01 की अदम चैक लेखबद्ध करना एवं उसके बी से बी भाग पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है एवं यह भी स्वीकार किया है कि उसने फरियादी के बताए अनुसार अदम चैक लेखबद्ध की थी। फरियादी इफराज खां अ०सा०1 ने रामकरन द्वारा रिपोर्ट लिखना बताया है परंतु प्र0पी01 की अदम चैक कमलेश कुमार अ0सा05 द्वारा लेखबद्ध की गई है एवं उक्त साक्षी ने फरियादी के बताए अनुसार रिपोर्ट लिखना बताया है। ऐसी स्थिति में फरियादी इफराज खां का यह कथन कि आरोपीगण ने घर में घुसकर मारपीट की थी, सत्य नहीं है एवं यही दर्शित होता है कि फरियादी इफराज खां अ०सा०1 द्वारा उक्त बिंदु पर अपने कथनों को किंचित बढाचढाकर प्रस्तृत किया गया है परंत् यह मानवीय स्वभाव है कि वह इस कारण से कि उसके कथनों पर अधिक विश्वास किया जाए घटना को बढाचढाकर प्रस्तुत करता है परंत् यह न्यायालय का कर्तव्य है कि वह सच एवं झूट के मिश्रण में से सच को पृथक करे मात्र उक्त विसंगतियों के आधार पर फरियादी के संपूर्ण कथनों को अविश्वसनीय नहीं माना जा सकता है।

- 15. फरियादी इफराज खां अ०सा०१ ने अपने कथन में आरोपी गुरू और अन्सीक द्वारा लात घूसों से उसकी मारपीट करना एवं उसकी लडकी शबनम को धक्का देना बताया है उक्त साक्षी का बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा पर्याप्त प्रतिपरीक्षण किया गया है परंतु प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी का कथन तुच्छ विसंगतियों को छोडकर तात्विक विसंगतियों से परे रहा है।
- 16. आहत शबनम अ0सा02 ने भी अपने कथन में आरोपी अन्सीक एवं गुरू द्वारा उसके पिता इफराज खां की मारपीट करना एवं उसे भी धक्का देना बताया है। साक्षी इसरहीज खां अ0सा03 ने भी आरोपीगण द्वारा इफराज की लातघूसों से मारपीट करना एवं शबनम को जमीन में पटककर उसकी मारपीट करना बताया है उक्त दोनों साक्षीगण का भी बचाव पक्ष अधिवक्कता द्वारा पर्याप्त प्रतिपरीक्षण किया गया है परंतु प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त दोनों ही साक्षीगण का कथन तुच्छ विसंगतियों को छोडकर तात्विक विरोधाभाषों से परे रहा है।
- 17. बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क किया गया है कि फरियादी इफराज खां अ०सा01 एवं आहत शबनम को आई चोटों की पुष्टि चिकित्सकीय साक्ष्य से नहीं हो रही है ऐसी स्थिति में अभियोजन घटना संदेहास्पद हो जाती है। यह उल्लेखनीय है कि प्रकरण में फरियादी इफराज खां अ०सा01 ने अपने कथन में मारपीट में उसके घुटने में तथा शबनम के दांहिने हाथ में चोट आना बताया है। आहत शबनम अ०सा02 ने अपने कथन में उसके पिता के आंख एवं उसके हाथ में चोट आना बताया है जबिक आहत इफराज खां की चिकित्सकीय रिपोर्ट प्र०पी02 में इफराज खां के बांय कान में सूजन एवं दांहिने घुटने में दर्द होना लेख है तथा शबनम की चिकित्सकीय रिपोर्ट प्र०पी03 में शबनम के चेहरे पर बहुत सारी खरोंचे होना वर्णित है तथा डाॅ० धीरज गुप्ता अ०सा04 द्वारा यह भी व्यक्त किया गया है कि शबनम को आई चोट स्वयं के द्वारा बनाई हुई लग रहीं थी।
- इस प्रकार प्रकरण में आई साक्ष्य से यह दर्शित है कि फरियादी इफराज खां 18. अ०सा०१ एवं शबनम अ०सा०२ के कथन चिकित्सकीय साक्ष्य से पुष्ट नहीं रहे हैं। डॉ० धीरज गुप्ता अ०सा०४ ने शबनम के चेहरे की चोटें स्वयं के द्वारा कारित किया जाना बताया है परंतु शबनम अ०सा०2 ने अपने कथन में यह नहीं बताया है कि झगड़े के दौरान उसके चेहरे पर चोटें आई थी जहां तक फरियादी इफराज खां एवं आहत शबनम की चोटों का प्रश्न है तो वहां यह उल्लेखनीय है कि फरियादी इफराज खां एवं आहत शबनम ने आरोपीगण द्वारा थापघूसों से मारपीट करना बताया है एवं आरोपीगण द्वारा मारपीट किये जाने के बिंद् पर फरियादी इफराज खां अ०सा०1 शबनम अ०सा०2 तथा इसरहीज खां अ०सा०३ के कथन अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान अखंडित रहे हैं। यद्यपि चोटों के संबंध में फरियादीगण के कथन चिकित्सकीय साक्ष्य से किंचित विरोधाभाषी रहे हैं परंतु मारपीट के बिंदु पर फरियादीगण के कथन अपने परीक्षण के दौरान अखंडित रहे हैं। फरियादी इफराज खां अ०सा०1 तथा आहत शबनम ने आरोपीगण द्वारा इफराज खां की थापघूसों से मारपीट करना एवं शबनम को धक्का देना बताया है एवं प्रकरण में आई साक्ष्य से आरोपीगण का कृत्य भादसं की धारा 323 की परिधि में आता है तथा धारा 323 के अंतर्गत चोटों का दर्शनीय होना आवश्यक नहीं है शारीरिक पीडा भी उपहति की परिभाषा में आती है एवं फरियादी इफराज खां ने आरोपीगण द्वारा उसकी थापघूसों से मारपीट करना तथा शबनम को धक्का देना बताया है एवं उक्त कृत्य से फरियादी इफराज खां एवं आहत शबनम को शारीरिक पीड़ा होना स्वाभाविक है। ऐसी स्थिति में मात्र उक्त विसंगती से अभियोजन घटना पर कोई विपरीत प्रभाव

नहीं पडता है एवं उक्त तथ्य से आरोपीगण को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है।

- 19. बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा तर्क के दौरान यह व्यक्त किया गया हैकि फरियादीगण द्वारा आरोपीगण को रंजिशन प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। यदि तर्क के लिए यह मान भी लिया जाए कि आरोपीगण एवं फरियादीगण के मध्य रंजिश विद्यमान है तो भी रंजिश एक ऐसी दुधारी तलवार है जिसका प्रयोग दोनों तरफ से किया जा सकता है यदि रंजिश के कारण फरियादीगण द्वारा आरोपीगण को मिथ्या अपराध में संलिप्त किया जा सकता है तो रंजिश के कारण ही आरोपीगण द्वारा फरियादीगण की मारपीट भी की जा सकती है। अतः मात्र रंजिश के आधार पर आरोपीगण को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है।
- 20. बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क किया गया है कि अभियोजन द्वारा प्रकरण में विवेचक को परीक्षित नहीं कराया गया है अतः अभियोजन घटना संदेह से परे प्रमाणित होना नहीं माना जा सकता है। यद्यपि यह सत्य है कि अभियोजन द्वारा विवेचक को परीक्षित नहीं कराया जा सका है परन्तु विवेचक को परीक्षित न कराना अभियोजन की प्रक्रियात्मक त्रुटि है एवं उक्त त्रुटि से आरोपीगण को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है।
- 21. प्रस्तुत प्रकरण में फरियादी इफराज खां अ0सा01 एवं शबनम अ0सा02 ने आरोपीगण द्वारा इफराज खां की लात घूसों से मारपीट करना एवं शबनम को धक्का देना बताया है। फरियादी इफराज खां अ0सा01 एवं शबनम अ0सा02 के कथन का समर्थन साक्षी इसरहीज खां अ0सा03 द्वारा भी किया गया है। उक्त सभी साक्षीगण का बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा पर्याप्त प्रतिपरीक्षण किया गया है परन्तु प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त सभी साक्षीगण का कथन तुच्छ विसंगतियों को छोड़कर तात्विक विरोधाभासों से परे रहा है। फरियादी इफराज खां अ0सा01 द्वारा घटना की सूचना यथाशीध्र थाने पर दी गयी है फरियादी इफराज खां अ0सा01 का कथन तात्विक बिन्दुओं पर प्र0पी—1 की अदम चैक एवं प्र0पी—4 की प्रथम सूचना रिपोर्ट से भी पुष्ट रहा है। आरोपीगण की ओर से उक्त तथ्यों के खण्डन में कोई विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है। ऐसी स्थिति में अभियोजन की अखंडित रही साक्ष्य पर अविश्वास नहीं किया जा सकता है।
- 22. फलतः उपरोक्त अवलोकन से यह प्रमाणित है कि घटना दिनांक को आरोपीगण ने फरियादी इफराज खां एवं आहत शबनम की मारपीट कर उन्हें उपहति कारित की थी।
- 23. अब न्यायालय को यह विचार करना है कि क्या आरोपीगण द्वारा फरियादी इफराज खां एवं आहत शबनम को स्वेच्छ्या उपहित कारित की गई थी? प्रस्तुत प्रकरण में आरोपीगण एवं फरियादीगण के मध्य आकिस्मक विवाद हुआ था एवं उक्त विवाद के कारण आरोपीगण द्वारा फरियादी इफराज खां एवं आहत शबनम की मारपीट कर उन्हें उपहित कारित की गई थी मारपीट करते समय आरोपीगण यह समझने में सक्षम थे कि उनके द्वारा जिस तरह से फरियादी इफराज खां एवं आहत शबनम की मारपीट की जा रही है उससे फरियादी इफराज खां एवं आहत शबनम को उपहित कारित होना संभावित है। आरोपीगण का ऐसा कहना भी नहीं है कि उनके द्वारा प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग करते हुए फरियादी इफराज खां एवं आहत शबनम को उपहित कारित की गई थी ऐसी स्थिति में प्रकरण की परिस्थितियों से यही दर्शित होता है कि आरोपीगण द्वारा फरियादीगण को स्वेच्छया उपहित कारित की गई थी।

25. इस प्रकार भा0द0सं0 की धारा 324 को आकृष्ट होने के लिए यह आवश्यक है कि उपहित असन वेदन या काटने के किसी उपकरण द्वारा या अग्नि विष द्वारा कारित की गयी हो। प्रस्तुत प्रकरण में आहत शबनम ने आरोपीगण द्वारा उसे धक्का देना बताया है। प्रकरण में आई साक्ष्य से यह दर्शित नहीं है कि आरोपीगण द्वारा किसी नुकीले आयुध से आहत शबनम की मारपीट की गयी हो। ऐसी स्थिति में भा0द0सं0 की धारा 324 का अपराध प्रमाणित नहीं होता है।

26. प्रस्तुत प्रकरण में आई साक्ष्य से यह प्रमाणित है कि आरोपीगण द्वारा आहत शबनम को धक्का देकर उसे उपहित कारित की गयी है। अतः आरोपीगण का कृत्य भा0द0स0 की धारा 324 की परिधि में न आते हुए भा0द0स0 की धारा 323 की परिधि में आता है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि यद्यपि आरोपीगण पर आहत शबनम की मारपीट के संबंध में भादसं की धारा 323 का आरोप विरचित नहीं किया गया है परंतु आरोपीगण पर शबनम की मारपीट के संबंध में भादसं की धारा 324 का आरोप विरचित किया गया था एवं प्रकरण में आई साक्ष्य से आरोपीगण का कृत्य आहत शबनम के संबंध में भादसं की धारा 323 की परिधि में आना प्रमाणित है। भादसं की धारा 323 का कृत्य भी समाहित है ऐसी स्थित में आरोपीगण पर आहत शबनम की मारपीट के लिए भादसं की धारा 323 का आरोप प्रथक से विरचित किया जाना आवश्यक नहीं है एवं आरोपीगण को भादसं की धारा 323 के अंतर्गत विधि अनुसार दंडित किया जा सकता है।

27. फलतः उपरोक्त चरणों में की गई समग्र विवेचना से अभ्योजन संदेह से परे यह प्रमाणित करने में सफल रहा है कि आरोपीगण ने दिनांक 15.11.15 को दिन के लगभग तीन बजे फिरयादी इफराज खां के घर के पास गोहद में फिरयादी इफराज खां एवं आहत शबनम की मारपीट कर उन्हें स्वेच्छया उपहित कारित की। फलतः यह न्यायालय आरोपी अभिषेक उर्फ अन्सीक खां एवं गुरू उर्फ साबिर खां को भादसं की धारा 323(दो शीर्ष) के आरोप में दोषी पाती है।

29. सजा के प्रश्न पर सुने जाने हेतु निर्णय लिखाया जाना अस्थाई रूप से स्थगित किया गया।

> (प्रतिष्ठा अवस्थी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,गोहद जिला भिण्ड म०प्र०

पुनश्च:-

- 30. आरोपीगण एवं उनके विद्वान अधिवक्ता को सजा के प्रश्न पर सुना गया आरोपीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा व्यक्त किया गया कि आरोपीगण का यह प्रथम अपराध है। आरोपीगण ने नियमित रूप से विचारण का सामना किया है। अतः आरोपीगण को परिवीक्षा का लाभ दिया जावे।
- आरोपीगण अधिवक्ता के तर्को पर विचार किया गया। प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रकरण 31. अवलोकन दर्शित होता अभियोजन द्वारा आरोपीगण के विरुद्ध कोई पूर्व दोषसिद्धि अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है आरोपीगण द्वारा नियमित रूप से विचारण का सामना किया गया है परन्तु आरोपीगण द्वारा जिस तरह से फरियादी इफराज खां एवं आहत शबनम को उपहति कारित की गई है उन परिस्थतियों में आरोपीगण को परिवीक्षा पर छोडा जाना उचित नहीं है। आरोपीगण को शिक्षाप्रद दण्ड से दण्डित किया जाना आवश्यक है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि आरोपीगण वर्ष 2015 से विचारण की पीडा को झेल रहे हैं। अतः फरियादी इफराज खां एवं शबनम की चोटों की प्रकृति को देखते हुए आरोपीगण को न्यायालय उठने तक के कारावास एवं अर्थदण्ड से दंडित करने से न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति होना संभव है। फलतः यह न्यायालय आरोपी अभिषेक उर्फ अन्सीक खां एवं गुरू उर्फ साबिर खां में से प्रत्येक को भादसं की धारा 323(दो शीर्ष) के अंतर्गत प्रत्येक शीर्ष में न्यायालय उठने तक के कारावास एवं 500-500 रूपये के अर्थदण्ड तथा अर्थदंड की राशि में व्यतिकृम होने पर 20-20 दिवस के साधारण कारावास के दंड से दंडित करती है।
 - 32. कारावास की सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।
 - 33. आरोपीगण पूर्व से जमानत पर हैं उनके जमानत एवं मुचलके भारहीन किये जाते है।

34. प्रकरण में जप्तशुदा कोई संपत्ति नहीं है।

35. आरोपीगण जितनी अवधि के लिये न्यायिक निरोध में रहे है उसके संबंध में दप्रसं की धारा 428 के अंतर्गत ज्ञापन तैयार किया जावे। आरोपीगण द्वारा न्यायिक निरोध में बिताई गई अवधि उनकी सारवान सजा में समायोजित की जावे। आरोपीगण इस प्रकरण में न्यायिक निरोध में नहीं रहे हैं।

स्थान – गोहद दिनांक –11.01.2017 निर्णय आज दिनांकित एवं हस्ताक्षरित कर खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।

सही / – (प्रतिष्ठा अवस्थी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद जिला भिण्ड(म०प्र०)

सही / – (प्रतिष्टा अवस्थी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी